

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या—१८/५/ई-६/२०२०-२१
प्रयागराजः दिनांक ०१ फरवरी, २०२१

आनलाइन विज्ञाप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 के जारी परिणाम दिनांक 30-01-2021 में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित आवेदन—पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना—पत्रक, अंकतालिका तथा अन्य अभिलेख आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर दिनांक 04-02-2021 से उपलब्ध रहेगा। समस्त औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे इसे डाउनलोड कर एवं पूर्णतः भरकर निम्न अभिलेखों को उसके साथ संलग्न कर दो प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय के परीक्षा हाल के प्रथम तल पर पूर्वान्ह 10:00 बजे तथा अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित हों। अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, अतः उनका परीक्षा परिणाम/अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा और आयोग उक्त पद के सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है:—

- 1—हाईस्कूल अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति।
- 2—इण्टररमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति।
- 3—प्रश्नगत पद के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।
- 4—आरक्षण (ई.डब्लू.एस., अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) एवं स्थाई निवास के दावे के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां (महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति/निवास प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही जारी मान्य होगा)।
- 5—सरकारी सेवक/कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 6—दो पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो बिना प्रमाणित फोटोग्राफ आवेदन पत्र के शीर्ष पर चस्पा कर उक्तानुसार उपस्थित हों।
- 7—ऐसे अभ्यर्थी, जो अधिवयस्क हैं एवं राज्य कर्मचारी होने का दावा किये हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत सरकारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।
- 8—दिव्यांगजन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसमें दिव्यांगता की उपश्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत करेंगे।
- 9—ई.डब्लू.एस. श्रेणी में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे।

नोट:—ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम/पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें।

चयन कमांक / तिथिवार सत्यापन कार्यक्रम निम्नवत् है :-

क्र.सं.	प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे तक (चयन कमांक)	अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक (चयन कमांक)	दिनांक
1	001 से 050 तक	051 से 100 तक	08-02-2021
2	101 से 150 तक	151 से 200 तक	09-02-2021
3	201 से 250 तक	251 से 309 तक	10-02-2021

2—उपरोक्त कार्यक्रमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्न बातों का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगा:-

(क) अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहन कर ही आयोग में उपस्थित हों एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेश इत्यादि न लायें।

(ख) अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाये गये सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।

(ग) आयोग के गेट नं0-2 पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को हैण्डवास एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा। हैण्डवास एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आयोग परिसर में प्रवेश करें।

(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।